झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहरागोड़ा एवं पटमदा।

पूर्वी सिंहभूम जिले के औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान बहरागोड़ा एवं पटमदा में नामाकंन हेतु सूचना।

1 झारखण्ड सरकार के SCVT के अन्तर्गत संचालित पूर्वी सिंहभूम जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बहरागोड़ा एवं पटमदा में प्रथम साक्षात्कार के पश्चात् विभिन्न व्यवसायों के रिक्त सीटों में (सत्र 2018–19–20) जिला स्तर पर गठित कमिटी के द्वारा द्वितीय साक्षात्कार के माध्यम से नामाकंन लिया जाएगा। द्वितीय साक्षात्कार हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक 27/10/2018 तक निर्धारित की जाती है। वैसे उम्मीद्वार जो पूर्व में आवेदन किए हैं तथा प्रथम साक्षात्कार में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए हैं, उन्हें पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है।

2. निम्नलिखित व्यवसायों के रिक्त सीटों में प्रवेश के निमित इच्छुक महिला एवं पुरूष उम्मीद्ववारों से अनुसूची 'क' के अनुसार हस्तलिखित/टंकित आवेदन पत्र दिनांक 27/10/2018 के अपराह्न 05.00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। अनुसूची 'क' जिले के वेवसाइट www.jamshedpur.nic.in में उपलब्ध है।

A. औद्योगिक प्रशिाक्षण संस्थान, बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम) में रिक्त सीटों में नामाकंन हेतु व्यवसायवार विवरणी :–

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	प्रथम साक्षात्कार के उपरांत रिक्त सीट								Total
		GEN	ST	SC	BC-I	BC-II	SUP	PH	SMQ	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	फिटर	01	01	01	00	01	01	00	01	06
2	वेल्डर	00	04	01	02	02	06	01	01	17
	कुल	**01**	**05**	**02**	**02**	**03**	**07**	**01**	**02**	**23**

B. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पटमदा (पूर्वी सिंहभूम) में रिक्त सीटों में नामाकंन हेतु व्यवसायवार विवरणी :–

क्र0सं0	व्यवसाय का नाम	प्रथम साक्षात्कार के उपरांत रिक्त सीट								Total
		GEN	ST	SC	BC-I	BC-II	SUP	PH	SMQ	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	
1	इलेक्ट्रिशियन	00	02	00	00	01	08	01	01	13
2	फिटर	02	07	01	00	03	08	01	01	23
3	मेकानिक डीजल	10	09	01	03	03	08	01	01	36
	कुल	**12**	**18**	**02**	**03**	**07**	**24**	**03**	**03**	**72**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2018–19–20 में रिक्त सीटों में नामांकन हेतु दिशा– निर्देश

3. **प्रवेश पाने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित है :–**

(क). वेल्डर व्यवसाय के लिए न्यूनतम योग्यता आठवाँ (8वाँ) उत्तीर्ण।
(ख). शेष व्यवसायों के लिए माध्यमिक/10वाँ/समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण 10+2+3 प्रणाली के आधार पर।
(ग). नामांकन प्रवेशिका या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर नामांकन समिति के समक्ष उपस्थित होने के समय उपलब्ध सीट के आलोक में ओपेन बोर्ड प्रणाली द्वारा मैट्रिक के प्राप्तांक/मेरिट के आधार पर नामांकन नियमानुसार किया जायेगा।

4. **आयु अहर्ता :–**

(क). 01 जुलाई 2018 को न्यनतम आयु 14 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
(ख). सैन्य कार्रवाई में शहीद हुए सैन्य कर्मियों की विधवाओं के मामले में अधिकतम आयु 45 वर्ष। आयु के निर्धारण के लिए केवल माध्यमिक/10वॉ समकक्ष परीक्षा के मूल/औपबंधिक प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म–तिथि ही वैध होगी। आठवाँ (8वाँ) स्तर के व्यवसायों के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र में अंकित जन्म–तिथि वैध होगी।

5. प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उम्मीदवारों को लिखित आश्वासन देना होगा कि वे प्रशिक्षण के अवधि में अनुशासन का पालन करेंगे। प्रशिक्षण समाप्त होने के पूर्व प्रशिक्षण कभी भंग नहीं करेंगे।

6. प्रवेश करने के समय प्रशिक्षणार्थियों को 50/– (पचास रूपये) मात्र कौशन मनी के रूप में जमा करना होगा। छात्रों द्वारा संस्थान का कोई सामान खो जाने या सामान को जानबुझ कर तोड़ दिये जाने पर उसकी कीमत कौशन मनी से काट ली जायेगी तथ अन्य उचित कार्रवाई की जायेगी। उत्तीर्णता प्राप्त करने के बाद छात्र एक वर्ष के अन्दर कौशन मनी वापस नहीं

लेते हैं तो इसे जब्त कर लिया जाएगा और सरकारी खजाना में जमा कर दिया जायेगा। सरकारी संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को कल्याण विभाग से नियमानुसार छात्रवृति मिल सकती है।

8. **आरक्षण अहर्ता :–**

(क). आरक्षण का प्रावधान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक – 07/निति (आरक्षण)–06/2001 का0–5886/राँची, दिनांकः– 21/09/2011 के अनुसार रहेगा।

(ख). मेरिट से चूने गये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा बल्कि खुली गुणा–गुण कोटि के 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध माना जाएगा।

(ग). औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, में स्वीकृत सीटों के 30 प्रतिशत सीट सुपरन्यूमरी है अर्थात कुल सीट = स्वीकृत सीट + स्वीकृत सीट का 30 प्रतिशत अतिरिक्त सीट।

(घ). सुपरन्यूमरी सीट की एक–एक सीट दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों (किसी भी वर्ग) के आश्रितों के लिए आरक्षित है।

(ड.) बाकि बचे सुपरन्यमरी सीट में अनुसूचित जन जाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

9. **आवासीय अहर्ताः–** सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वे ही उम्मीदवार नामांकन ले सकते हैं जो झारखण्ड राज्य के निवासी है या स्थानीय निवासी के श्रेणी में आते हैं। झारखण्ड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक –14/स्थानीय नीति–14–03/2016 का 4650 दिनांक 02 जून 2016 (संकल्प संख्या–3198 दिनांक 18.04.2016) में स्थानीय निवासी को परिभाषित किया गया है। उम्मीदवारों को अपने दावे के समर्थन में सक्षम पदाधिकारी (अंचल अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की मूल प्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

10. **जाति आधारित अहर्ताः–** नामांकन में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण नीति का पालन किया जायेगा। आरक्षित सीटों पर दावा करने वाले उम्मीदवारों को सक्षम पदाधिकारी (अंचल अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त) द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र की मूलप्रति नामांकन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

11. आवेदन पत्र निबंधित डाक द्वारा दिनांक 27.10.2018 के अपराह्न 05.00 बजे तक निम्नलिखित में से किसी एक संबंधित संस्थान के पते पर भेजे :–

1. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बहरागोड़ा, नियर फायर ब्रिगेड बहरागोड़ा।
   थाना+पोष्ट– बहरागोड़ा, जिला– पूर्वी सिंहभूम, पिन कोड– 832101.
2. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पटमदा, ग्राम– गोबरघुसी, थाना+पोष्ट– पटमदा, जिला– पूर्वी सिंहभूम, पिन कोड – 832105.

नोट :–

(1.) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता का अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आवासीय प्रमाण–पत्र का छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति एव अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित एवं बीरगति प्राप्त सैनिक के आश्रितों को अंचल पदाधिकारी/जिला उपायुक्त/जिला सोल्जर्स बोर्ड (जो संबंधित प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम हो) से उक्त वर्ग के होने का प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन पत्र साथ संलग्न करना आवश्यक है।

(3.) दिव्यांगो को अपना आवेदन पत्र देते समय एक फुल साईज का फोटो देना होगा तथा जिला अस्पताल के ओर्थो–पेडिक्स के विभागाध्यक्ष/जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक (civil surgeon) द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। दूसरे किसी चिकित्सकों के प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी।

नियोजन पदाधिकारी
–सह–
नोडल पदाधिकारी,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,
बहरागोड़ा एवं पटमदा।

अनुसूची – नामांकन फार्म का विहित प्रपत्र

अनुसूची "क"

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने हेतु आवेदन पत्र

स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो

1. औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान का नाम : ....
2. उम्मीदवार का नाम (अंग्रेजी के बड़े अक्षर में) : ....
   (हिन्दी में) ....
3. (क) पिता का नाम : ....
   (ख) अभिभावक का नाम ....
4. पिता / अभिभावक का पेषा : ....
5. उम्मीद्वार का पूरा पता
   (क) स्थायी पता : ग्राम : .... पोष्ट : ....
   थाना : ....गृह जिला....................
   राज्य ....पिन : ....
   (ख) पत्राचार पता : ग्राम : .... पोष्ट : ....
   थाना : ....गृह जिला....................
   राज्य ....पिन : ....
6. उम्मीद्वार का निकटतम रेलवे स्टेषन : ....
7. जन्म–तिथि (प्रमाण –पत्र अभिप्रमाणित प्रति के साथ) : ....
8. दिनांक 01 जुलाई 2018 को आयु : ....
9. शैक्षणिक योग्यता
   कृपया प्रवेषिका से लेकर सभी उच्चतर परीक्षाओं का विवरण दे:–

क्र0स0	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विष्वविद्यालय का नाम	विद्यालय / महाविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने के वर्ष (वार्षिक / पूरक)	श्रेणी	प्राप्तांक	कुल अंक	परीक्षा के विषय	अभियुक्ति
1.									
2.									
3.									
4.									

नोट : आवेदक सभी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ संलग्न करें।

1. क्या उम्मीदवार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग के सदस्य है? (जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें) ....
2. क्या उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक या उनके आश्रित है ?..
3. क्या उम्मीदवार दिव्यांग है ? ....
4. पिता / अभिभावक की वार्षिक आय और परिवार के वयस्क एवं नाबालिक दोनों की अलग–अलग संख्या : ...., ...
5. अनुलग्नकों की विवरणी :

   1....................2....................3....................4....................
   5....................6....................7....................8....................

मैं .... पिता का नाम .... प्रमाणित करती हूँ / करता हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरे द्वारा भरी गई हैं एवं सही है।

मोबाईल नम्बर..
आवेदन देने की तिथि..

आवेदक का हस्ताक्षर